

कोशी - कुलार 15 - 217/2007

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

30.9.21

पत्रावली पेश। प्रकरण में रैस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांत शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 25.11.21 को पेश हों।

*R*

25/11/21

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 25.11.21 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 11.11.22 को पेश हो।

11.1.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 11.01.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 7.04.22 को पेश हो।

7.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 30.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 12.7.22 को पेश हो।

12.7.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 12.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.11.22 को पेश हो।

29.11.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 29.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 29.11.22 को पेश हो।

01/12.22

पत्रावली प्रस्तुत आंभेभाषक पत्र न आया न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 01.12.22 को पेश हो।

9.1.23

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांत में रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाना गया। पत्रावली केवल सुनाने के लिए न्याय से कल लेकर दाख तारीख तकमील रजिस्ट्रार को पेश हो।



*R*